

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार-I (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 31/2024

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/62

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी
बनाम

अप्रार्थीगण

प्रेमचंद पुत्र जोधाराम कुमावत निवासी खारिया तहसील कुचामन सिटी वगैराह

प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान
भू-अभिलेख नियम 1957

-: आदेश :-

दिनांक :- 05.11.2024

तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेज नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामन सिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम दीपपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 282, 522/288, 254, 254, 251, 529/250, 256 में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामन सिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम दीपपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 282, 522/288, 254, 254, 251, 529/250, 256 में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट "ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट "ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। रास्ता संबंधित खातेदारों की खातेदारी में दर्ज रहेगा। तहसीलदार कुचामन सिटी इस आदेश की पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

